

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

सं. रा.भा./9(19)/ 2016


16 नवम्बर 2016

आदेश

विषय: राजभाषा नियम 1976 की धारा 8(4) के अंतर्गत हिंदी में काम करने संबंधी आदेश के संदर्भ में।

संस्थान में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। परिणामस्वरूप संस्थान को राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में 22 नवम्बर 1988 को अधिसूचित किया जा चुका है। अतः हमें अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करना अपेक्षित है।

संस्थान के रिकार्ड के अनुसार आपको हिंदी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। अतएव आपको यह आदेश दिया जाता है कि राजभाषा नियम, 1976 की धारा 8(4) के तहत आप अपना समस्त कार्य हिंदी में ही करें। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।


(डॉ. सुरजित मित्रा)
निदेशक